



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)


क्रमांक एफ 2( )पंरावि/प्रशा.1/वि.अ/संस्था/प्रति./विविध/2017/1560 जयपुर, दिनांक 11-6-18

### आदेश

श्री घनश्याम शर्मा, विकास अधिकारी पंचायत समिति बून्दी जिला बून्दी की विकास अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर ली गयी सेवायें स्वयं के प्रार्थना पत्र एवं निकट भविष्य में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के कारण समाप्त कर इनके पैतृक विभाग (माध्यमिक शिक्षा) को लौटायी जाकर तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।


श्री शर्मा विकास अधिकारी के पद का कार्यभार विभागीय परिपत्र दिनांक 15.7.2014 के अनुसार पंचायत समिति में पदस्थापित अधिकारियों के वरीयता क्रम में संभलाकर तत्काल अपनी उपस्थिति पैतृक विभाग में प्रस्तुत करें, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
(इकबाल खान)  
संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर।
8. संभागीय आयुक्त, कोटा।
9. जिला कलेक्टर, बून्दी।
10. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बून्दी।
11. विकास अधिकारी पंचायत समिति बून्दी जिला बून्दी।
12. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
13. सम्बन्धित अधिकारी को पालनार्थ।
14. आदेश पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव (प्रशा-1)